छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 742/2008

1.	श्रीमती सुनीता जेनियार, क्वाटर नंबर–2 बी, सड़क नंबर–22, सेक्टर–1, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी, कार्यालय थाना प्रभारी, थाना–भिलाई भट्ठी, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	प्रति अपीलार्थी

//आदेश//
(दिनांक 17 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रीमती सुनीता जेनियार द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय थाना प्रभारी, थाना– भिलाई भट्ठी, जिला–दुर्ग के समक्ष दिनांक 13.03.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि व्यतित होने के बाद दिनांक 16.04.2006 को उन्हें भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी दी गई, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.05.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 20.06.2008 को प्रथम सूचना रिपोर्ट खारिज करने की सूचना दी गई, किन्तु जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 09.06.2009 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.11.2008 को कुछ जानकारी दी गई तथा बाद में लिये गये बयान की प्रति निःशुल्क देने के निर्देश दिये गये। अंतिम सुनवाई दिनांक को प्रति अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुये थे, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि जब दिनांक 29.02.2008 को उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में खारजी दी गई थी तो उसके बाद दिनांक 16.04.2008 को थाना प्रभारी द्वारा जो उत्तर उन्हें दिया गया, उसमें प्रकरण विवेचना में क्यों बताया गया, उसके कारण उन्हें जानकारी देने से इंकार किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी प्रथम अपील में निर्णय कर दिनांक 20.06.2008 को मिथ्या रिपोर्ट किये जाने से दिनांक 29.02.2008 को खारजी होना बताया गया। सूचना आयोग का कार्य केवल सूचना का अधिकार के आवेदन के बारे में ही विचार करना है और प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्रकरण के गुण–दोषों के बारे में कोई विचार नहीं करना है। प्रति अपीलार्थी ने अपने तर्क में यह कहा है कि चूंकि न्यायालय से विधिवत खारजी स्वीकृत कराना शेष था, अतः इसे विवेचना में मानकर जानकारी नहीं दी गई। भले ही उनका यह तर्क तकनीकी दृष्टि से सही है, किन्तु इसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है और थाना प्रभारी ने जो उत्तर दिया है, उससे यह प्रतीत होता है कि पहले जानकारी छिपाने का प्रयास किया गया है, जो उचित नहीं है, अतः इसके लिए श्री आर0के0 चौबे, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी/थाना प्रथारी एवं वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक, आई0जी0 कार्यालय, जगदलपुर को भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी के लिए थोड़ा दोषी पाया जाता है और समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन पर राशि एक हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। प्रकरण में चूंकि बाद में आयोग के निर्देशानुसार पूरी जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है, अतः अब केवल विलंब, भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com